

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,  
"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।  
(E-mail id - dir.ukdgm@gmail.com)

संख्या 364

/उ0ख0(ईनि)-V / वि0का0ज्ञ0 / भू0खनि0नि0 / 2026-27

दिनांक 06 मई, 2026

विज्ञापितकरण कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007, दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली 2023 के अध्याय-4 नियम-20(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न जनपदों के नदी तल राजस्व क्षेत्रों में उपनियम (4) के अनुसार गठित समिति द्वारा जनपदवार चिह्नित रिक्त उपखनिज क्षेत्रों/लॉटों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वारा उपनियम (2) में निर्धारित अवधि के लिए जनपद उधमसिंहनगर के 03 उपखनिज क्षेत्र को खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नवत विज्ञापित किये जाने की घोषणा की जाती है:-

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल (है० में)	भूमि की श्रेणी	मात्रा (टन में)	खनिज का प्रकार
<b>जनपद उधमसिंहनगर</b>								
01	बाजपुर	गोबरा	दाबका	खसरा सं० 218 रकवा 0.474 है०, खसरा सं० 219/2 रकवा 0.360 है० 0.834 है०	0.834	राजस्व	45036	आर० बी०एम०, (बालू, बजरी, बोल्टर)
02	बाजपुर	गोबरा	दाबका	खसरा सं० 233 रकवा 0.028 है०, खसरा सं० 234 रकवा 0.250 है०, खसरा सं० 235/2 रकवा 0.759 है०, खसरा सं० 237 रकवा 0.060 है०, खसरा सं० 238 रकवा 0.3410 है०, खसरा सं० 247/2 रकवा 0.6320 है० कुल रकवा 2.070 है०	2.070	राजस्व	108000	आर० बी०एम०, (बालू, बजरी, बोल्टर)
03	बाजपुर	बैतखेडी	दाबका	खसरा सं० 3/2 रकवा 1.849 है०	1.849	राजस्व	99846	आर० बी०एम०, (बालू, बजरी, बोल्टर)

अतः उपरोक्तानुसार घोषित रिक्त क्षेत्र/लॉट से उपखनिजों के खनन/चुगान हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

संख्या 364 /उ0ख0(ईनि)-V / वि0का0ज्ञ0 / भू0खनि0नि0 / 2026-27, तददिनांकित।  
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन), उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5. नोडल अधिकारी, आई०टी०, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उधमसिंहनगर।
7. गार्ड फाइल।

*(राजपाल लेघा)*  
निदेशक

*(राजपाल लेघा)*  
निदेशक  
06/5/26